उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-140/2016/आर-3101/26-3-2016-52एस.एन.डी./2004

लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2016

शुद्धिपत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना 'एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन' के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपया-39.70 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-104/2016/आर-1397/26-3-2016-52 (एस.एन.डी.)/2004, दिनांक-12.05.2016 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रूपया-19.85 लाख (रूपया उन्नीस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. शासन के उक्त पत्र दिनांक-12.05.2016 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी आदेश में अंकित तालिका के क्रम संख्या-1 पर स्थित मद-अ, **कृषि विकास (बीज, खाद एवं कीटनाशक दवा)** हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति टंकणीय त्रुटिवश रूपया-2.20 लाख के स्थान पर रूपया-2.00 लाख अंकित हो गयी है, जिसे उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में रूपया-2.20 लाख पढ़ा जाय। शेष अन्य मदें/शर्ते यथावत रहेगी।

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-140/2016/आर-3101(1)/26-3-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी सोनभद्र।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0 आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in